

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 688 / 2011 / बांसवाड़ा.

मैसर्स श्रद्धेय कंस्ट्रक्शन, कुशलगढ़, बांसवाड़ा.अपीलार्थी.
बनाम

वाणिज्यिक कर अधिकारी, वर्क्स एण्ड लीजिंग टैक्स, भीलवाड़ा.प्रत्यर्थी.

एकलपीठ
श्री जे. आर. लोहिया, सदस्य

उपस्थित :

श्री राकेश मेहता, अभिभाषकअपीलार्थी की ओर से.

श्री जमील जई,
उप-राजकीय अभिभाषकप्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 2 / 6 / 2014

निर्णय

अपीलार्थी द्वारा यह अपील उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर विभाग, उदयपुर (जिसे आगे 'अपीलीय अधिकारी' कहा जायेगा) के अपील संख्या 81 / MVET / 09–10 में पारित किये गये आदेश दिनांक 10.01.2011 के विरुद्ध राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे 'अधिनियम' कहा गया है) की धारा 83 के तहत प्रस्तुत की गयी है। अपीलीय अधिकारी ने उक्त आदेश से अपीलार्थी द्वारा वाणिज्यिक कर अधिकारी, वर्क्स एण्ड लीजिंग टैक्स, भीलवाड़ा (जिसे आगे 'कर निर्धारण अधिकारी' कहा जायेगा) के अधिनियम की धारा 26 व 55 सप्तित दी राजस्थान टैक्स ऑन एन्ट्री ऑफ मोटर व्हिकल इन्टू लोकल एरिया एकट, 1988 (जिसे आगे 'प्रवेश कर अधिनियम' कहा जायेगा) के तहत पारित किये गये आदेश दिनांक 12.11.2009 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी अपील को अस्वीकार किया है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी ने वर्ष 2006–07 में हरियाणा राज्य से टिपर चैसिस मोटर वाहन कीमतन रूपये 14,79,013 /– के आयात किये थे, जिन पर प्रवेश कर अधिनियम के तहत प्रवेश कर जमा नहीं कराने के कारण कर निर्धारण अधिकारी ने प्रवेश कर अधिनियम सप्तित अधिनियम की धारा 26 व 55 के तहत कर निर्धारण आदेश पारित कर प्रवेश कर रूपये 1,84,877 /– व ब्याज रूपये 36,975 /– कुल रूपये 2,21,852 /– की मांग सृजित की, जिसके विरुद्ध अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत किये जाने पर अपीलीय अधिकारी द्वारा अपील अस्वीकार की गई। अपीलीय आदेश से असहमत होकर अपीलार्थी द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई है।

उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

लगातार.....2

अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि कर निर्धारण अधिकारी ने अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बगैर गैर विधिक रूप से प्रवेश कर व ब्याज आरोपित किया है, जिसे अपीलीय अधिकारी ने भी यथावत रख कर विधिक भूल की है।

अग्रिम कथन किया कि अपीलार्थी ने राज्य के बाहर से मोटर वाहन दिनांक 26.12.2006 के बिल द्वारा आयात किया था। अपीलार्थी मोटर वाहन का व्यवहारी नहीं है, बल्कि ठेकेदार है, इसलिए केजुअल ट्रेडर की श्रेणी में आता है। केजुअल ट्रेडर पर करारोपण संव्यवहार पूर्ण होने के 2 वर्ष में अधिनियम सपठित प्रवेश कर अधिनियम अनुसार करारोपण किया जा सकता था। इसलिए अवधिपार कर निर्धारण विधिक रूप से अनुचित होने के कारण अपास्तनीय है। तर्क के समर्थन में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के (2013) 32 टैक्स अपडेट 133 को उद्धरित कर अपील स्वीकार किये जाने पर बल दिया।

प्रत्यर्थी के विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक ने कर निर्धारण अधिकारी व अपीलीय अधिकारी के आदेशों का समर्थन करते हुए कथन किया कि अपीलार्थी राज्य में पंजीकृत व्यवहारी है, जिसने अपने ठेका कार्य हेतु मोटर वाहन 'सी' फॉर्म के समर्थन से आयात किया है। अग्रिम कथन किया कि कर निर्धारण अवधिपार का तर्क निचली अदालतों के समक्ष उठाया ही नहीं गया है। फिर भी उद्धरित निर्णय इस प्रकरण में सुसंगत नहीं हैं, क्योंकि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने उद्धरित निर्णयों में वाहन आयातक व्यक्ति विशेष बिक्री कर अधिनियम व नियमों के तहत अपंजीकृत होने की स्थिति में अपास्त किये थे। ऐसे प्रकरणों में माननीय न्यायालय ने आयातकों को केजुअल ट्रेडर मानते हुए दो वर्ष के बाद पारित आरोपणों को अवधिपार निर्णीत किया है। अतः अपील अस्वीकार किये जाने पर बल दिया।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलार्थी का वर्ष 2006–07 का अधिनियम के तहत पारित किये गये कर निर्धारण में उसके द्वारा आयातित मोटर वाहन पर प्रवेश कर अधिनियम के तहत प्रवेश करारोपण बच गया था, इसलिए कर निर्धारण अधिकारी ने दिनांक 15.9.2009 की सुनवाई तिथि का नोटिस जारी किया। अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक द्वारा पेशी तिथि बढ़ाये जाने का अनुरोध करने पर सुनवाई तिथि 5.10.2009 रखी गई, जिसे पुनः 26.10.2009 के लिये अधिकृत प्रतिनिधि के निवेदन पर बढ़ाई गई, जिसके पश्चात उपस्थित नहीं होने पर कर निर्धारण आदेश दिनांक 12.11.2009 पारित किया गया है। पत्रावली पर उपलब्ध उक्त



लगातार.....3

तथ्यों के आधार पर अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक का यह तर्क बलहीन हो जाता है कि अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना कर निर्धारण आदेश पारित किया गया है।

अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक का दूसरा तर्क यह रहा है कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा कर निर्धारण अवधिपार था, जिसके समर्थन में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के उक्त दो न्यायिक दृष्टान्त 32 टैक्स अपडेट 233 व 36 टैक्स अपडेट 161 प्रस्तुत किये हैं। माननीय न्यायालय के निर्णयों का सम्मान अध्ययन किया गया। दोनों ही प्रकरणों में राज्य के बाहर से मोटर वाहन आयातक क्रमशः श्री हरकू मझ़ा व श्री जगदीश प्रसाद हैं, जिन्होंने व्यक्तिगत उपयोगार्थ वाहन आयात किये थे। उन पर कर निर्धारण राजस्थान विक्रय कर अधिनियम, 1954 की धारा 10बी(1)(3) के अन्तर्गत दो वर्ष बाद पारित होने की स्थिति में अवधिपार निर्णीत किया गया है। प्रस्तुत प्रकरण में प्रवेश कर योग्य मोटर वाहन आयातक एक पंजीकृत ठेकेदार है, जिसने 'सी' फॉर्म के समर्थन से माल का आयात अपने ठेका कार्यों के सम्पादन हेतु किया गया है। पंजीकृत व्यवहारियों की स्थिति में अधिनियम की धारा 26 अनुसार 5 वर्ष के पश्चात नोटिस जारी नहीं किया जा सकता है। प्रस्तुत प्रकरण में वाहन खरीद 26.12.2006 के 5 वर्ष की भीतर दिनांक 2.9.2009 को ही नोटिस जारी किया जा चुका था, इसलिए कर निर्धारण समयावधि भीतर पारित किया गया है। अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक का अवधिपार का तर्क भी बलहीन होने से अस्वीकार किया जाता है।

उक्त विवेचनानुसार इस पीठ के सुविचारित मत में कर निर्धारण अधिकारी ने प्रवेश कर व ब्याज विधिसम्मत रूप से आरोपित किया है तथा अपीलीय अधिकारी द्वारा उसकी पुष्टि कर कोई विधिक भूल नहीं की गई है। अतः अपीलार्थी की अपील अस्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालयों के आदेशों की पुष्टि की जाती है।

परिणामस्वरूप अपीलार्थी की अपील अस्वीकार की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।

(जे.आर. लोहिया)

सदस्य
०२/०६/११